

(१)

डाक-न्यू की पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एव.पा.-2  
दस्तूर. पा./505/99.

पंजी क्रमांक. भोपाल. डिसी.जन  
पाप. मो. 2/पा-123/99.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 1999—अस्थिति 16, शक 1921

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (१) मध्यप्रदेश विधेयक, | (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (३) संसद् में पुरस्थापित विधेयक, |
| (ख) (१) अर्थादेश,          | (२) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (३) संसद् के अधिनियम,            |
| (ग) (१) आम्ब नियम,         | (२) अनियम नियम,               |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

#### अंतिम नियम

##### जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, अस्त्रालय भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 1999

क्र. एफ. 12-3-76-सचिवालय-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा तुलीय बोर्ड (लिपिक लर्नाच), सेवा में भरती के संबंध में नियमालाइट नियम बनाते हैं, अर्थात्—

#### नियम

संस्कार शाम तथा प्रारंभ—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उकुनीकी शिक्षा तुलीय बोर्ड (लिपिक लर्नाच), सेवा भरती नियम, 1999 है।

(2) "भारतप्रदेश राज्यपाल" में उपरोक्त प्रकल्प की तारीख से अमृत होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक संबंध से जन्माये अभियोग होते हैं—

- सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राप्तिकारी" से अभियोग है सरकार;
- "परीक्षा" से अभियोग है नियम 11 के अधीन भारती के लिए लौ रुप परीक्षा;
- "सरकार" से अभियोग है भारतप्रदेश सरकार;
- "राज्यपाल" से अभियोग है भारतप्रदेश के राज्यपाल;
- "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभियोग है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर चयासंशोधित अभियोग एफ. ४-५-पर्याय-४-३४, तारीख 26 दिसंबर 1984 द्वारा याचनायितिहस्त जागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- "अनुसूची" से अभियोग है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- "अनुसूचित जाति" से अभियोग है कोई जाति, भूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, भूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन भारतप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनियोगित किया गया है;
- "अनुसूचित जनजाति" से अभियोग है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन भारतप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनियोगित किया गया है;
- "सेवा" से अभियोग है भारतप्रदेश तकनीकी शिक्षा, तृतीय ब्रेणी (तिथिक वर्गीय) सेवा;
- "राज्य" से अभियोग है भारतप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना—भारतप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 में ऑटोरिटी उपर्योगों की व्यापकता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव द्वारा बिना, ये नियम सेवा के प्रयोग सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन—सेवा में नियन्त्रित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

- ये व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनियोगित यद भूलवंश धारण कर रहे हों;
- ये व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भारती किये गए हों; और
- ये व्यक्ति जो इन नियमों के उपर्योगों के अनुसार सेवा में भारती किये गए हों।

5. वर्गीकरण, व्यतीनशर्य आदि—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में समियोग पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न विवरण अनुसूची-एक में ऑटोरिटी उपर्योगों के अनुसार होगा।

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में समियोग पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी अधिक या कमी कर सकते हैं।

६. भरती का तारीखा—(१) इन नियमों के प्रयोग होने के पश्चात् सेवा में भारती विनियोगित तारीखों से की जाएगी, अर्थात्—

(क) सीधी भरती द्वारा प्रतिवेगिता परोक्ष चयन द्वारा;

(ख) पदोन्नति द्वारा जैसा अनुसूची-चार के कालम (२) में दर्शाया गया है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस विभिन्न विनियोग किए जाएं, मूल हैसियत में धारण करते हों।

(२) उपनियम (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनियित पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(३) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विनियोग रिक्त या विकलांगों को जिसे जिन्हें भरती को किसी विनियोग कालावधि के दौरान भय जाना अपेक्षित हो, भय जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तारीख या तारीके और ऐसे प्रत्येक तारीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की खण्ड प्रत्येक अवसर पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सरकार वे परामर्श दे अवधारित कर जाएंगी।

(४) उपनियम (१) में अंतर्विन्दि किसी जात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की असाधारणता जो कि देखते हुए ऐसा दरमा अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार दरमा उपनियम में विनियोग नोका में भरती के लिए उन तारीकों से भन ऐसे तारीके अपना सकेंगी, जिसे वह इस विभिन्न जारी किए गए आदेश द्वारा विविहत करे।

७. सेवा में नियुक्ति—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम ६ में विनियोग भरती के तारीकों में से किसी एवं तारीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएंगी, अन्यथा नहीं।

८. सीधी भरती के लिये यात्रा संबंधी शर्त—चयन के लिये यात्रा होने के लिए अभ्यर्थी को विनियोगित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

(एक) आयु—(क) उसने चयन प्रारंभ होने के तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (३) में विनियोग की गई आयु पूरी कर दी हो और उक्त अनुसूची तीन के कालम (४) में विनियोग आयु पूरी नहीं की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनवाहिकी का हो तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकारम् ५ वर्ष तक विविलनीय होगी;

(ग) मध्यप्रदेश विविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम ५ के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकारम् १० वर्ष तक विविलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जो माध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नोटे विनियोग की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा विविलनीय होगी, अर्थात्—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, ३८ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से एवं धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, ३८ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियोला आकस्मिकता नियम से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना का शान्त्यन्यन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुदेश होगा;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो “छट्टी किया गया सरकारी सेवक” हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में जो गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करते के लिए अनुचान किया जाएगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु विविले वह उच्चतर आयु-सीमा से ३ वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण।—** पद “छटनी किये गए सरकारी सेवक” से भोतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या उन्हीं भी संघटक इकाईयों की अधिकारी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक नियन्त्रण रहा हो तथा विषे रोकार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीरूत लगाने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन बर्ष पूर्व स्थापना में किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अधिकारी को जो “भूतपूर्व सैनिक” हो, अपनी आयु में ये उसके द्वारा पूर्व में की गई उमस्त ग्राहिता सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुमति दिया जाएगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप यो आयु निकारे, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन बर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण।—** पद “भूतपूर्व सैनिक” से भोतक है ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टरियल प्रबन्धों में से किसी एक उक्त वर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक नियन्त्रण विभागित रहा हो, और विसको किसी भी रोकार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीरूत करने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, लावेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन बर्ष पूर्व, वित्तव्यविधि इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सम्मान्य रूप से किये जाने के कारण छटनी की गई या यो अतिशेष (सरकारी) शोषित किया गया था ;—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति विवरणों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो; और जिन्हे,—

(क) अन्यकालीन वज्रनालूक अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भरती संबंधी तर्ते पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास विविल इकाई (युनिट) का भूतपूर्व कार्मिक, (कर्मचारी);

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अत्यावधि सेवा के विवरित कालावधि प्राप्त अधिकारी भी शामिल है जो संविदा पूरे होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक नियन्त्रण कार्य करने के यशात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब से दस सैनिक बत्ते योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाय आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(पांच) एन.सी.सी. में पूर्णकालिक केडिट अनुदेशक के रूप में दिनांक 1 जनवरी 1963 से और उसके बाद भरती किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी प्राग्निधिक/विस्तारित अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें एन.सी.सी. से निर्मुक्त कर दिया जाने पर यह समझ जाएगा कि जो गव्य सरकार के अधीन असैनिक पदों पर छटनी किए गए सरकारी कर्मचारी हैं, और उन्हें उनकी कालावधि आयु में से उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुमति दिया जा सकता और यदि इसके परिणामस्वरूप निकली आयु किसी विशिष्ट पद के लिए विद्युत बड़ी गई उच्चतर आयु-सीमा से तीन बर्ष से अधिक तर्ही होती हो तो वे उस पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु संबंधी तारीख को पूरा

करने के लिए योग्य समझ आयोगे किन्तु वे सामान्य प्रशासन विभाग के जापन अ. 113-सी-आर-88-1(तीन) (66), दिनांक 27 मई 1966 में अन्तर्विष्ट अनुदर्शी के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र रखते हों;

- (इ) विधाया, निरोन्नित तथा तलकसुदा भाइसा अधिकारियों के संबंध में सामान्य उच्चार आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ब) उन अध्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चार आयु-सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्बाहीन विधाया ग्रोलाइन कार्यक्रम के अधीन पुस्तक दस्तावेज़ के संबंध में सामान्य उच्चार आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) "विकल्प पुस्तकार" धारक अध्यर्थियों के संबंध में उच्चार आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) उन अध्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चार आयु-सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) दस्तावेज़ नाम सैनिकों तथा नाम सेवा के नाम कमोशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चार आयु-सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी पश्चा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

**टिप्पणी।—**(१) ऐसे अध्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में अणिं आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छठनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

**टिप्पणी।—**(२) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अध्यर्थी को चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी होगी।

**(दो) शैक्षणिक अहंताएं।—**अध्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिये विवित शैक्षणिक अहंताएं होनी चाहिए, परन्तु—

- (क) आपवादिक मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अध्यर्थी को अहंगत संकेती, जिसके पास यथापि इस खंड में विवित अहंताओं में से कोई अहंता नहीं हो किन्तु विस्तृत अन्य भौत्याङ्ग द्वारा संबालित सेवा ऐसे रस्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अध्यर्थी के चयन के लिए विचारण के न्यूनोचित रहती है, और
- (ख) ऐसे अध्यर्थियों पर, जो अन्यथा अहं हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विवेशी विश्वविद्यालयों से जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है उपाधियां प्राप्त की हैं समिति के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के बारे में विचार किया जा सकेगा।

**(तीन) फोस।—**अध्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवित फोस का संदाय करना होगा।

**9. निरहंता।—**अध्यर्थी की ओर से अपनी अध्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्वत अभिप्राप करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिए निरहंत ठहराया जा सकेगा।

**10. अध्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनियोग अंतिम होगा।—**परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए किसी अध्यर्थी को पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनियोग अंतिम होगा और किसी ऐसे अध्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा।

11. (1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती—(एक) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से हो जाएगी जैसे को नियुक्ति प्राप्तिकारी उचित के पार्श्व में समय-समय पर, अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ही जाएगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भरती—(एक) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा की निदेशक, समय-समय पर, अवधारित करे।

(दो) चयन समिति द्वारा, सेवा में अधिकारियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, और

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा, समय-समय पर, गतिव की जाएगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारीयों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर पदों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सं. 1994) में अन्तर्विष्ट उपर्योगों के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अधिकारियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, जहाँ अन्य अधिकारियों को तुलना में उनका सापेक्षित रेक्ट कुछ भी करे ना हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अधिकारियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्पर्क घायल रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष-उपर्युक्त) नियम, 1997 के उपर्योगों के अनुसार, सीधी भरती के प्रक्रम में 30 अतिशय पद महिला अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में जहाँ सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक रहते के रूप में विहित किया गया है और सक्रम प्राप्तिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संभावना नहीं है वहाँ सक्रम प्राप्तिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के बारे में अनुभव को शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गये अधिकारियों की सूची—(1) नियुक्ति प्राप्तिकारी उन अधिकारियों की सूची के लिए एक सूची जो ऐसे स्तर से आहूत हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अधिकारियों की सूची जो यथापि उस स्तर से आहूत नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्पर्क यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित विधे गये हैं, तैयार करेगा। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी दें लिए भी प्रकाशित को जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य रूप) नियम, 1961 के उपर्योगों के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं।

(3) सूची में किसी अधिकारी का नाम सम्मिलित किया जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राप्तिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे कि वह आवश्यक समझे, यह अधिकारी नहीं हो जाये कि अधिकारी सेवा में नियुक्ति

(4) सूची नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा जारी करवे को सारी से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) यात्र अध्यार्थियों की पदोन्नति हेतु ग्रामीण चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे :

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश सोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्षों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपर्योग का भी अनुसार किया जाएगा।

(2) समिति का सम्प्रिलिप्त ऐसे अन्वरातों से किया जाएगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण के लिए विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपर्योग के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा।

(4) आरक्षण विकितयों में पदोन्नति करने हेतु ग्रामीण सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

14. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रतः संबंधी शर्तेः—(1) उपनियम (2) के उपर्योग के अध्यधीन रहते हुये, समिति उन समस्त व्यक्तियों के पामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उन वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन वर्षों पर या, उसके समतुल्य वेष्यित अन्य वर्षों पर, जिनसे पदोन्नति की जाती है, उतने वर्षों को सेवा (यादे स्थानान्पत्र रूप में या मूल रूप में) जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर दी हो और जो उपनियम (2) के उपर्योग के अनुसार विचारण लिए वे अन्त हों।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण लिए विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपर्योग पदोन्नति हेतु विचारण लिए लागू होंगे।

15. उपयुक्त अध्यार्थियों की सूची का लिए गर किया जाना.—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा जाया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान से श्रिनिवास तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित विकितयों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में समिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षण सूची भूमोक्त उत्तराधिकारी के दौरान होने वाली अनंतविक्षित विकितयों को भी भरने के लिए तैयार रही जाएगी।

(2) चतुर्थ ब्रेणी से तृतीय ब्रेणी के पद पर, और तृतीय ब्रेणी के पद से तृतीय ब्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड ज्येष्ठता-सह उपयुक्तता (सीनियरटी सब्जेक्ट ट्रू फिल्टरेस) होगी।

(3) ऐसी चयन सूची के तैयार करते समय सूची में समिलित किए गए अधिकारियों के नाम अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सेवा या वर्षों में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कानिष्ठ अधिकारी को जो समिति की रूप में असाधारण योग्यता तथा उपयुक्त हो, उससे ज्येष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उत्तराधिकार दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में समिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्ता के दौरान पदोन्नत करने की जाता है केवल उसके पूर्णोत्तर चयन के तथा से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर परवान्वर्ती चयन में विचार किया गया है ज्येष्ठता कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीधारण किया जाएगा।

(5) यथास्थिति चयन पुनर्विलोकन या फुर्मीशण की ग्रामीण के दौरान यदि अधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य को अधिकारित करना प्रस्तावित किया जाता है तो गमिति प्रस्तावित अधिकारण वे सम्बन्ध में अपने कारणों को अभिलेखित करेगी।

16. चयन सूची—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा यह सूची पर समिति से ग्राम भवन उत्तरायण के साथ विचार करेगी और चब तक वह कोई विविध आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) एवं नियुक्ति प्राधिकारी समिति से ग्राम सूची में कोई विविध आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित विविधों की सूचना समिति को देणे तथा समिति को टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपायों, यदि कोई हो, के साथ, जो उसको राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची-चार के कालम (3) में वर्णित घटों से उक्त अनुसूची-चार के कालम (2) में संवित घटों पर सेवा के सदस्यों को घोषनाति के लिए चब तक सूची होगी।

(4) चयन सूची साधारणतः तब तक प्रवृत्त होगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तीयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के भरे नहीं बढ़ाए जाएगी;

परन्तु चयन सूची में सम्प्रिलिपि किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के भालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे स्विकृत का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—(1) चयन सूची में सम्प्रिलिपि कर्मचारियों की सेवा संबंध के घटों पर नियुक्तियाँ उक्ती कालम में की जाएगी जिस कालम में ऐसे कर्मचारियों के नाम सूची में आए हों:

परन्तु बहाँ प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्प्रिलिपि नहीं है या जो चयन सूची में अपारे क्रम पर नहीं है सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि रिप्रिट के तीन मास से अधिक उम्र तक जासू रहने की संभावना नहीं है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्प्रिलिपि है सेवा में नियुक्ति के भूर्य विधायी पदोन्नति समिति से प्राप्त रूप से सम्प्रिलिपि कर्मचारियों की विधिमान्यता तक तीयार किए जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति भी तारीख के बीच को कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई विवाद न आ गई हो, जिससे कि यह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुप्रयुक्त हो गया हो।

18. परिवीक्षा—सेवा में सौधी भरती किये गए प्रत्येक व्यक्ति को वह वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका इस पर उसका विनियन्य अंतिम होगा।

20. विधिलीकरण—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मापदंड में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल को ऐसी रीत से जो उसे दिलचित् तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शरित को सौमित्र या काम करती है :

परन्तु कोई मापदंड ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपर्योगित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. निरसन तथा व्याख्या—इन नियमों के वर्तमानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक भूर्य प्रवृत्त सूची जैसम् इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एवं दूसरा निरसन किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार नियमित नियमों के अधीन किए गए कोई भी किसी भी आदेश या कोई गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समाज जाएगा कि वह इन नियमों के वर्तमानी उपर्योगी के अधीन किया गया है या कोई नहीं है।

## अनुसूची-एक (क)

(विषय ४ एवं ५ दोहरे)

## संचालनात्मक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्रवाई

क्रमांक (१)	सेवा में सम्पादित पदों के नाम (२)	मंजूर किए गए पदों की संख्या (३)	वर्णाकरण (४)	बेतनमान (५)
1	अधीक्षक	14	इतीय ब्रेणी	1640-60-2600-75-2900
2	अधीक्षक (जबलपुर एवं रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु)	2	-तदैव-	1640-60-2600-75-2900
3	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	6	-तदैव-	1400-40-1410-50-2340
4	शोष्लेशक	14	तुतीय ब्रेणी	1400-40-1410-50-2340
5	कनि. सेक्युरिटी अधिकारी (जबलपुर/रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	2	इतीय ब्रेणी	1600-50-2300-60-2720
6	सहायक वर्ग (ग्रेड) एक	17	इतीय ब्रेणी	1400-40-1410-50-2340
7	सहायक वर्ग (ग्रेड) एक (भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय)	6	(लिपिक वर्गीय)	1400-40-1410-50-2340
8	सहायक वर्ग (ग्रेड) एक (जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	4	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक वर्ग (ग्रेड) एक (रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	4	-तदैव-	1400-40-1410-50-2340
9	कैसियर	1	-तदैव-	1320-40-1410-50-2040
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	6	तुतीय ब्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1200-40-1410-50-2040
11	लेखापाल	3	तुतीय ब्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1300-40-1410-50-2040 (प्रशिक्षित)
	लेखापाल जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय	1	-तदैव-	1200-40-1410-50-2040 (अप्रशिक्षित)
12	सहायक ग्रेड-दो	1	-तदैव-	1200-40-1410-50-2040 (प्रशिक्षित)
	सहायक ग्रेड-2 (भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय)	10	तुतीय ब्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1200-40-1410-50-2040
	सहायक ग्रेड-2 (जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	2	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-2 (रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	2	-तदैव-	-तदैव-
13	स्ट्रोर कौर	1	तुतीय ब्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1150-30-1210-40-1450-50-1800
1.1	रिकार्ड कंपैफ़र	1	-तदैव-	-तदैव-
1.2	स्टेनो टायपिस्ट	1	-तदैव-	950-25-1000-30-1210-40-1530
	स्टेनो टायपिस्ट (जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	1	+125-विशेष बोलन	-तदैव-
1.3	स्टेनो टायपिस्ट (रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	1	-तदैव-	-तदैव-
1.4	सहायक ग्रेड-3	31	तुतीय वर्ग (लिपिकीय)	950-25-1000-30-1210-40-1530
	सहायक ग्रेड-3 (भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय)	3	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-3 (जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	3	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड-3 (रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय)	3	-तदैव-	-तदैव-

## अनुसूची-एक (ख)

(नियम ४ तथा ५ से लिये)

मध्यप्रदेश तकनीकी प्रिवेट एण्डलस, भोपाल के तकनीकी

अनुक्रमांक (१)	सेवा में सम्बंधित पदों के नाम (२)	स्वीकृत पदों को संक्षा (३)	वर्गीकरण (४)	बेतनमात्र (५)
१ अधीक्षक	५		तृतीय वर्ग (सिलिंग वर्गीय)	1600—50—2300—60—2720
२ सहायक अधीक्षक	५		—तदैव—	1400—40—1440—50—1340
३ शीघ्रलेखक	४		—तदैव—	1400—40—1440—50—1340
				1640—60—2600—75—1900
				2000—60—2300—75—1200—100—3500
४ सहायक ट्रेणी (ग्रेड-१)	६		—तदैव—	1400—40—1440—50—1340
५ सेक्षनार्थी	१		—तदैव—	1320—40—1440—50—2040 (प्रशिक्षित)
				1200—40—1440—50—2040 (अप्रशिक्षित)
६ सहायक ट्रेणी (ग्रेड-२)	१४		तृतीय वर्ग (सिलिंग वर्गीय)	1200—40—1440—50—2040
७ स्टेनो टाइपिस्ट	३		—तदैव—	950—25—1000—30—1210—40—1530 +125 विशेष बेतन
८ सहायक ट्रेणी (ग्रेड-३)	१२		—तदैव—	950—25—1000—30—1230—40—1530
९ रिकार्ड कीपर	१		—तदैव—	950—25—1000—30—1210—40—1530

## अनुसूची-एक (ग)

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

## शासकीय तकनीकी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	स्वीकृत पदों को संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	बेतनमां (5)
1.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (पोलीटेक्निक)	24	तृतीय ब्रेणी (लिपिकोष)	1600—50—2300—60—2700
2.	शीघ्रलेखक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक).	44	— " —	1400—40—1440—50—2340 1640—60—2600—75—2900 2000—60—2300—75—3200—100—3500
3.	मुख्य लिपिक शासकीय (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक).	56	— " —	1440—40—1440—50—2340
4.	केन्द्रिय (शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सांगर).	1	— " —	1400—40—1440—50—2340
5.	मुख्य लिपिक-सह-सेवापाल (शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय/कला निकेतन, जबलपुर).	5	— " —	1320—40—1440—50—2040 (प्रशिक्षित) 1200—40—1440—50—2040 (अप्रशिक्षित)
6.	सेवापाल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक)	66	— " —	1320—40—1440—50—2040 (प्रशिक्षित) 1200—40—1440—50—2040 (अप्रशिक्षित)
7.	सहायक ब्रेणी (ग्रेड-दो) (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक/कला निकेतन)	137	तृतीय ब्रेणी (लिपिक वर्गीक.)	1200—40—1440—50—2040
8.	स्टोरकीपर (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक, कला निकेतन).	93	— " —	1150—30—1210—40—1440—50—1800
9.	सेवापाल (कला निकेतन)	1	— " —	1150—30—1210—40—1440—50—1800
10.	स्टेनो टायपिस्ट (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक).	17	— " —	950—25—1000—30—1210—40—1530+ 125 विशेष बेतन.
11.	सहायक ब्रेणी (ग्रेड-तीन) समस्त तकनीकी संस्थाएं (शास. उच्च. माध्य. तकनीकी विद्यालयों/पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को छोड़कर).	127	— " —	950—25—1000—30—1210—40—1530
		42		
		169		
12.	सहायक (ग्रेड-तीन) (शास. पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र).	11	— " —	950—25—1000—30—1210—40—1530
13.	सहायक (ग्रेड-तीन) (शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय).	15	— " —	950—25—1000—30—1210—40—1530

अन्तर्राष्ट्रीय-दो (क)

(नियम & देखिए)

संचालनालय, राजनीकी शिक्षा, वर्षप्रदेश, भौपाल

### जनपदिक विभाग विभाग (तकनीकी शिक्षा)

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा प. प्र., भोपाल :

1.	अधीक्षक	14	-	100 प्रतिशत
2.	अधीक्षक (जबलपुरायपुर सेत्रीय कार्यालय).	2	-	100 प्रतिशत
	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	6	-	100 प्रतिशत
	शोध्यालेखक	14	50	प्रतिशत
	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	-	100 प्रतिशत
	सहायक (ग्रेड-एक)	17	-	100 प्रतिशत
	सहायक (ग्रेड-एक) (जबलपुरायपुर सेत्रीय कार्यालय).	14	-	100 प्रतिशत
	केशियर	1	-	100 प्रतिशत
	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	6	-	100 प्रतिशत
	लेखापाल	3	-	100 प्रतिशत
	लेखापाल (जबलपुरायपुर सेत्रीय कार्यालय).	11	-	100 प्रतिशत
	सहायक (ग्रेड-दो)	16	-	100 प्रतिशत
	—“— (भोपाल/रायपुर)	10	-	100 प्रतिशत
	जबलपुर सेत्रीय कार्यालय).	2	-	100 प्रतिशत
	स्टोर कोर्पर	1	-	100 प्रतिशत
	मिकाई कोर्पर	1	-	100 प्रतिशत
	स्टेनो टायपिस्ट	13	100	प्रतिशत
	स्टेनो टायपिस्ट (जबलपुर रायपुर सेत्रीय कार्यालय).	2	100	प्रतिशत
	सहायक (ग्रेड-तीन)	31	75	प्रतिशत
	सहायक (ग्रेड-तीन) (जबलपुर, रायपुर सेत्रीय कार्यालय).	6	75	प्रतिशत
			-	25 प्रतिशत
			-	चतुर्थ ब्रेंड
			-	कार्यालय
			-	संदर्भ-

स्थाना भै विमुक्त किए गए  
ऐसे देनोटापरिस्ट बिहारी उस  
वर्ष को जनवरी के प्रथम दिन,  
जिस वर्ष विचार किया जाना  
है, को संगातार पांच वर्ष को  
सेवा योग कर ली है और  
बिहार में शीतलखण्ड घट के  
स्तिर विहार आर्हता प्राप्त कर  
ली है, पदोन्नति के पात्र होगी।

## अनुसूची-दो (ख)

(नियम 6 देखिए)

## मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पण्डत, भोपाल

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	करतव्य	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	अन्य सेवाओं से	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			पदों की संख्या	भर्ती	मूल/अस्थायी सदस्यों को पदोन्नति द्वारा (नियम 6 देखिए)	व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 7 देखिए)

## जनशक्ति नियोजन विभाग ( तकनीकी शिक्षा )

## मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पण्डत, भोपाल :

1.	अधीक्षक	5	-	100 प्रतिशत	-
2.	सहायक अधीक्षक	5	-	100 प्रतिशत	-
3.	शीघ्रसेवक	4	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
4.	सहायक ( ग्रेड-एक )	6	-	100 प्रतिशत	-
5.	लेखापत्र	1	-	100 प्रतिशत	-
6.	सहायक ( ग्रेड-दो )	14	-	100 प्रतिशत	-
7.	स्टेनो टायपिस्ट	5	100 प्रतिशत	-	-
8.	सहायक ( ग्रेड-तीन ) (रिकार्ड कोपर)	12	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत अर्ह चतुरथ ब्रेफो कर्मचारियों द्वारा	-

स्थापना में नियुक्त किए गए  
ऐसे स्टेनोटायपिस्ट जिन्होंने उस  
वर्ष को जनवरी के प्रथम दिन,  
यिन वर्ष विचार किया जाना  
है, को समावार पांच वर्ष की  
सेवा पूर्ण कर ली है और  
जिन्होंने शीघ्रसेवक पद के  
लिए विहित अर्हता पूर्ण कर  
ली है, पदोन्नति के पात्र होंगे।

## अनुसूची-दो (ग)

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

क्रमांक	विभाग का नाम	करतव्य	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	अन्य सेवाओं से	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			पदों की संख्या	भर्ती	मूल/अस्थायी सदस्यों को पदोन्नति द्वारा (नियम 6 देखिए)

## जनशक्ति नियोजन विभाग ( तकनीकी शिक्षा ) :

1.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी ( पोलार्टेक्निक )	24	-	100 प्रतिशत	-
2.	शीघ्रसेवक	44	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	मुख्य लिपिक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलोटेक्निक).	56	-	100 प्रतिशत	-	स्थानमा में विसुल किए गए ऐसे स्टेटो टायपिस्ट विवाहने उस वर्ष की बनवाई के प्रथम दिन, विस वर्ष विवाह किया जाता है, को सामान चांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और विन्दीने शीघ्रलेखक घट के लिए विवित आईडा पूर्ण कर ली है, पदोन्नति के बाब छोड़े।
4.	कैशियर (शा. इंजी. महा- विद्यालय, सामर).	1	-	100 प्रतिशत	-	
5.	मुख्य लिपिक-सह-सेक्षनापाल (मासकोय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय/शा. कला निकेतन, जबलपुर).	5	-	100 प्रतिशत	-	
6.	सेक्षनापाल (इंजी. महाविद्यालय/पोलोटेक्निक).	66	-	100 प्रतिशत	-	
7.	सहायक (ग्रेड-दो) (इंजी-नियारिंग महाविद्यालय/पोलोटेक्निक/कला निकेतन, जबलपुर).	137	-	100 प्रतिशत	-	
8.	स्टर कौपर (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलोटेक्निक/कला निकेतन, जबलपुर).	93	-	100 प्रतिशत	-	
9.	सेक्षनापाल, कला निकेतन, जबलपुर.	1	-	100 प्रतिशत	-	
10.	स्टेटो टायपिस्ट (इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलोटेक्निक/कला निकेतन, जबलपुर).	17	100 प्रतिशत	-	-	
11.	सहायक (ग्रेड-तीन) समस्त तकनीकी संस्थाएं,	169	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत (नियमित अह चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारियों द्वारा).	-	
12.	सहायक (ग्रेड-तीन) मासकोय पूर्व व्याव. प्रशिक्षण केन्द्र.	11	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत (नियमित चतुर्थ ब्रेणी कर्मचारियों द्वारा).	-	

टिप्पणी.—शीघ्रलेखकों के यदों के संबंध में :—

मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासन सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग (वेतन आयोग ब्रॉडकॉल) के डाफन नं. 611C2/2/वे.आ.प्र./88, दिनांक 12-2-83, 15-3-88 एवं क्रमांक 124/391/1/वे.आ.प्र./90, दिनांक 24-3-90 के अधीन गैर सचिवालयीन शीघ्रलेखकों को पदोन्नति के अक्षर उदान करने के संबंध में प्रत्येक विभागाध्यक्ष के अधीन समस्त स्थापनाओं में कार्यस्त शीघ्रलेखकों को पदोन्नति के प्रयोगन के लिये एक ब्रेणी माना जाएगा और उनकी पदोन्नतियाँ विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रित की जायेंगी। उक्त योजना के लिये विभिन्न विभागाध्यक्षों के अधीन शीघ्रलेखकों के प्रारंभिक वेतनमान के जो पद स्थीकृत हैं उन्हें 9:3:1 के अनुपात में विभाजित किया जायगा, अर्थात् यदि 13 पद स्थीकृत हो, तो उनमें से 9 पद प्रारंभिक वेतनमान (तृतीय ब्रेणी) 1400-2340/- में 3 पद (द्वितीय ब्रेणी) वेतनमान 1640-2900/- एवं 1 पद (प्रथम ब्रेणी) के वेतनमान 2000-3500/- में विभाजित किया जाएगा।

विभाग के अधीन कार्यस्त शीघ्रलेखकों को पदोन्नति के लिए राज्य स्तर का बांग (Cadre) माना जायेगा तथा उन्नुसार पदोन्नतियाँ की जाएंगी। शीघ्रलेखकों की पदोन्नति के लिये प्रत्येक स्तर पर कम-से-कम 5 वर्ष की अंहकारी सेवा पूर्ण बतावा आवश्यक होगा। पदोन्नति किये जाने जाले शीघ्रलेखकों को किसी भी कार्यालय/संस्था में पदस्थ किया जा सकेगा। ऐसा करने के लिये विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग को उच्च ब्रेणी के पद को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तर कर आवश्यित करने का हकदार होगा।

## अनुसूची-तीन (क)

(विषय ४ देखिये)

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुसूची का नाम	न्यूनतम आयु-	अधिकारी	शीघ्रानक अर्हताएँ	नियुक्ति अधिकारी
क्रमांक	सीमा	आयु-सीमा	(५)	(६)
(१)	(२)	(३)	(४)	
१. शोधलेखक	१८	३०	१. माध्यमिक शिक्षा भण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा या १०+२ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण। २. मध्यप्रदेश मुद्रलेखन तथा शोधलेखन परीक्षा परिषद् अध्यवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शोधलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। ३. हिन्दी शोधलेखन में १०० शब्द प्रति मिनिट याति तथा मुद्रलेखन में ४० शब्द प्रति मिनिट याति। ४. अंग्रेजी शोधलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।	संचालक, तकनीकी शिक्षा
२. स्टेनो-टायपिस्ट	१८	३०	१. माध्यमिक शिक्षा भण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा या १०+२ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण। २. मध्यप्रदेश शोधलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् अध्यवा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। ३. अंग्रेजी मुद्रलेखन उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी। ४. हिन्दी शोधलेखन में कम से कम ६० शब्द प्रति मिनिट की याति।	संचालक, तकनीकी शिक्षा
३. सहायक (ग्रेड-तीन)	१८	३०	१. माध्यमिक शिक्षा भण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा या १०+२ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। २. मध्यप्रदेश शोधलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ३. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।	संचालक, तकनीकी शिक्षा

टिप्पणी—अनुसूची-३(क) में विनिर्दिष्ट सीधी भरती के यदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा की जावेगी।

## अनुसूची-सौन (ख)

(नियम ८ से लिये)

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा बघड़ल, मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुक्रमिक क्रमांक	सेवा का नाम	नवाचम आयु- सीमा	अधिकारीम् आयु-सीमा	शैक्षणिक अवधारणा	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक	18	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन पारिक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनेट गति तथा मुद्रलेखन में 40 शब्द प्रति मिनेट गति होनी चाहिए। 4. अंग्रेजी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राधिकारिता।	संचालक, तकनीकी शिक्षा
2.	स्टेचो-टार्फर्स्ट	18	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. हिन्दी शीघ्रलेखन में कम से कम 60 शब्द प्रति मिनिट की गति। 4. अंग्रेजी मुद्रलेखन उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राधिकारिता दी जावेगी।	सेवा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल, भोपाल।
3.	सहायक (रेह ऑफ)	18	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राधिकारिता दी जावेगी।	

टिप्पणी—अनुसूची-३(ख) में विविध सभी भर्ती के बाद सर नियुक्ति प्रतिवेशीय परीक्षा तथा असारूप द्वारा की जाती है।

## अनुसूची-तीन (ग)

(नियम ४ देखिये)

संचालनात्मक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अधिनस्थ ज्ञानसंग्रहीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुसूची-तीन का नाम क्रमांक	सेवा का नाम (१)	उम्रनियम आयु- सीमा (२)	अधिकातम आयु-सीमा (३)	शैक्षणिक अवृत्तार्थ (४)	नियुक्ति अधिकारी (५)	संचालक, तकनीकी शिक्षा संस्था प्रमुख (६)
1. शीघ्रलेखक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक.	18	30	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन परीक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दौ शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. हिन्दौ शीघ्रलेखन में 100 रुप्य प्रति मिनिट गति तथा मुद्रलेखन में 40 रुप्य प्रति मिनिट गति। 4. अंग्रेजी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्रार्थनिकता दी जावेगी।	संचालक, तकनीकी शिक्षा संस्था प्रमुख	
2. सेन्ट्रो टार्फिपस्ट, इंजी- नियरिंग महाविद्यालय/ पोलीटेक्निक/कला- निकेतन, जबलपुर	18	30	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दौ मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण हो। 3. हिन्दौ शीघ्रलेखन में कम से कम 60 रुप्य प्रति मिनिट की गति। 4. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्रार्थनिकता दी जावेगी।	संस्था प्रमुख	
3. सहायक (ग्रेड-तीन), इंजीनियरिंग कालेज/ पोलीटेक्निक/कला- निकेतन, जबलपुर	18	30	30	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दौ मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उत्तीर्ण हो। 3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्रार्थनिकता दी जावेगी।	संचालक, तकनीकी शिक्षा संस्था प्रमुख	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सामग्री बोर्डी (ग्रेड-तीन), सासकीय पूर्व व्यापक- साधिक प्रशिक्षण केन्द्र,	18	30	1. विधिविभाग लिया मण्डल, मध्यप्रदेश, खोपाल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हाय सेकेण्ट्री परीक्षा या 10+2 लिया प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मध्यप्रदेश शोधलेखन तथा मुद्रलेखन चिरियद द्वारा संचालित हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अधिकार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इस चिरियद्वारा मान्य सम्प्रकाश परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अधिकि को प्राथमिकता दी जायेगी।		

नोट.—अनुसूची-3(ग) में विनिर्दिष्ट सौधी भरती के पदों पर विद्युकि ऐनु प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा भरती को जायेगी।

### अनुसूची-चार (क) (नियम 13 तथा 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसमें से पदोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति की विधि अधीकृत चयन विधि	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा से चयन	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### जनशक्ति नियोजन विभाग (लकड़ीकी शिक्षा)

1. चरिष्ट लेखा परीक्षक/सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)/केशियर/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी,	अधीक्षक ब्रेणी (ग्रेड-एक)/केशियर/	चरिष्टता-सह- उपयुक्ता	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्दिष्ट 1. एक अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक—अध्यक्ष 2. दो उप संचालक—सदस्य 3. एक अ.जा./अनु. जनजाति का आतिनियिक अधिकारी—सदस्य
2. चरिष्ट लेखा परीक्षक/सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)/केशियर/	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	-सदैव-	3 वर्ष 5 वर्ष	-सदैव-
3. स्टेनो टायपिस्ट	शोधलेखक	-सदैव-	5 वर्ष	-सदैव-
4. सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)/ केशियर.	चरिष्ट लेखा परीक्षक	-सदैव-	5 वर्ष	-सदैव-
5. कनिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा- पाल/सहा. ब्रेणी (ग्रेड-दो)/ रिकार्ड कीपर/स्टोर कीपर (भण्डार त्रिपाल).	सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)/ केशियर	-सदैव-	5 वर्ष	-सदैव-

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक (ग्रेड-दो) / रिकार्ड कौप/पण्डार लिपिक (स्टोर कौप).	कनिष्ठ लेखा परीक्षक लेखापाल	-रदैव-	5 वर्ष	-रदैव-
7. सहायक ब्रेगी (ग्रेड-तीन) / स्टेनो टायपिस्ट.	सहायक (ग्रेड-दो) / स्टोर कौप (भण्डार लिपिक) रिकार्ड कौप	-रदैव-	5 वर्ष	-रदैव-

- टिप्पणी.— 1. कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/केशियर के लिये लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।  
 2. कनिष्ठ लेखा परीक्षक लेखापाल एवं स्टोरकौप के पद पर अद्वेन्ता शासकोंय सेवक को दो वर्ष की समयावधि में लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

**अनुसूची-चार (ख)**  
(नियम 13 तथा 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसमें से पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाता है	पदोन्नति की विधि अर्थात् जाता है	पदोन्नति हेतु सेवा की व्यवस्था	विधायीय पदोन्नति सीमित के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**जनशक्ति नियोजन विभाग ( तकनीकी शिक्षा ) :**

1. सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	वरिष्ठता-सह- उपयुक्तता	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित 1. सचिव, तकनीकी शिक्षा भण्डार—अध्ययन 2. संयुक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा—सदस्य 3. उपसचिव, तकनीकी शिक्षा भण्डार—सदस्य 4. एह.सी./एस.टी. का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य
2. स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	-रदैव-	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित 1. एक अधिकारिक संचालक—अध्ययन संयुक्त संचालक—सदस्य 2. दो उप संचालक—सदस्य 3. एक अनुसूचित चार्टिं/अनु. चयनाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)	सहायक अधीक्षक	वरिष्ठता-सह-उपयुक्ता	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित	
4. लेखापाल/सहायक ब्रेणी (ग्रेड-दो).	सहायक ब्रेणी (ग्रेड-एक)	-तदैव-	5 वर्ष	1. सचिव, उक्तनीकी शिक्षा भण्डल—अध्यक्ष। 2. संयुक्त संचालक, उक्तनीकी शिक्षा—सदस्य। 3. उप सचिव, उक्तनीकी शिक्षा भण्डल—सदस्य। 4. एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य।	
5. सहायक ब्रेणी (ग्रेड-दो)	लेखापाल	-तदैव-	5 वर्ष	-तदैव-	
6. सहायक ब्रेणी (ग्रेड-तीन)/स्किल्ड कॉमिटी	सहायक ब्रेणी (ग्रेड-दो)	-तदैव-	5 वर्ष	सचिव, उक्तनीकी शिक्षा भण्डल द्वारा नाम निर्देशित 1. एक उपसचिव—अध्यक्ष 2. एक उपसचिव—सदस्य 3. दो सहायक सचिव—सदस्य 4. एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य।	

टिप्पणी.—लेखापाल/स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

### अनुसूची-चार (ग) (नियम 13 वा 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसमें से पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति की विधि अर्थात् अथवा चयन विधि	पदोन्नति हेतु सेवा को न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनशक्ति नियोजन विधान ( उक्तनीकी शिक्षा ) :

1. मुख्य स्थापिक, इंजी. यहां-विद्यालय/पोलीटेक्निक, कैलिपार, इंजी. महाविद्यालय,	कनिष्ठ लेखाधिकारी (पोलीटेक्निक)	वरिष्ठता-सह-उपयुक्ता	5 वर्ष	संग्रलक द्वारा नाम निर्देशित 1. अधिकारिक संग्रलक/प्राचार्य इंजी. महाविद्यालय—अध्यक्ष। 2. प्राचार्य, पोलीटेक्निक—सदस्य 3. संयुक्त संचालक/उप संचालक—सदस्य। 4. एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य।
--	---------------------------------	----------------------	--------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टेनो टापीफट	शोभलेखक	वरिष्ठा-सह- उपयुक्ता	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित 1. एक अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक—प्रधान 2. दो उप संचालक—सदस्य 3. एक अनुसंचित जाति/अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य.	
3. लेखांगत, इंजी. महा./ योलोटेक्निक, मुख्य लिपिक/ शास. उच्च. आध्य. विद्यालय.	मुख्य लिपिक/ केशियर, इंजी- नियरिंग महा- विद्यालय	-तदैव-	5 वर्ष	संचालक द्वारा नाम निर्देशित 1. अतिरिक्त संचालक/प्राचार्य इंजी. महाविद्यालय—अध्यक्ष 2. प्राचार्य, योलोटेक्निक—सदस्य 3. संयुक्त संचालक/उप संचालक— सदस्य. 4. एक अनुसंचित जाति/अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व अधिकारी—सदस्य.	
4. सहायक (ग्रेड-दो)/ भण्डार लिपिक, इंजी. महा./ योलोटेक्निक/पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र.	सेखांगत, इंजी. महा./योलोटेक्निक एवं मुख्य लिपिक, शास. उच्च. आध्य. तक, विद्यालय.	-तदैव-	5 वर्ष		
5. सहायक (ग्रेड-तीन)	सहायक (ग्रेड-दो)	-तदैव-	5 वर्ष	-तदैव-	
	भण्डार लिपिक.				

टिप्पणी.—कानिष्ठ सेक्षा अधिकारी/केशियर, सेखांगत, भण्डार लिपिक के लिये सेक्षा प्रशिक्षण चरीका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. हुड़े, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 10 जून 1999

क्र. एफ. 12-3-76-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, क्र. एफ. 12-3-76-बयालीस-1, दिनांक 10 जून 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. हुड़े, उपसचिव,

Bhopal, the 10th May 1999

No. F. 12-3-76-42-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the Recruitment for Madhya Pradesh Technical Education, Class-III (Ministrial) Service.

### RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education, Class-III (Ministrial) Service Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government ;

(b) "Examination" means the competitive examination for recruitment conducted under rule 11 ;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh ;

(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;

(g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India ;

(h) "Scheduled Tribes" means any tribe, or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India ;

(i) "Service" means the Madhya Pradesh Technical Education, Class-III (Ministrial) Service;

(j) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

**6. Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

- (a) by direct recruitment by competitive examination selection;
- (b) by promotion as shown in column (2) of Schedule IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointment authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, Government may after approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

**7. Appointment to the Service.**—All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

**8. Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

- (1) **Age.**—(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for appointment of women's) Rules, 1997.
- (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—
  - (i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.
  - (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charge employees and employees working in the project implementing committees.
  - (iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not

less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service :—

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
  - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment;
  - (3) Ex-personal of Madras Civil Units;
  - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;
  - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
  - (6) Ex-servicemen invalided out of service;
  - (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
  - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.
- (v) Persons recruited from 1-1-1963 onwards as whole time cadets instructors in the N.C.C. shall on release from the N.C.C. on the expiry of their initial/extended tenure be regarded as retrenched Government employees for purpose of employment in civil posts under the State Government and may be followed to deduct from their actual age and period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of a particular post by more than 3 years, they will be deemed to be satisfying the conditions for appointment to that post in respect of the maximum age provided they possess necessary certificate as per instructions contained in G.A.D. Memo No. 1134-CR-88-I (iii)(66), dated 27-5-1966.
- (e) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute or divorced woman candidates.
  - (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Cards holder candidates under the family welfare programme.
  - (g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive programme of the Tribal, Schedule Caste and Other Backward Classes Welfare Department.
  - (h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.
  - (i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards.

- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

**Note.—(1)** Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

**Note.—(2)** In no other case will these age limits be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

**(2) Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III :

Provided that,—

- (a) In exceptional cases the Committee may on the recommendation of the Appointing Authority, treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause - has passed examination conducted by other institutions by such a standard, which in the opinion of the Committee, justifies the consideration of the candidate for selection, and
- (b) Candidates, who are otherwise qualified, but have taken degrees from foreign universities, being university not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Committee.

**(3) Fees.**—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

**9. Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Appointing Authority to disqualify him to appear examination/selection.

**10. Appointing Authority's decision about eligibility of candidate shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed for appearing in the examination/or being interviewed.

**11. (1) Direct Recruitment by Competitive Examination.**—(i) Competitive examinations for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

**(2) Direct recruitment by selection.**—(i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Director may from time to time determine.

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them, and

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

**(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).**

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be reserved for Women candidates, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

**12. List of Candidates Recommended by the Selection Committee.**—(1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 the candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of 1 year from the date of its issue by the Committee.

**13. Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 1997.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

(2) For the zone of consideration for promotion the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rule, 1997 shall apply.

15. **Preparation of the list of suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 per cent. of number of persons included in the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies during the course of aforesaid period.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III, and Class III to Class II, the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of the Officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list :

Provided that any Junior Officer, who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, shall be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

**Explanation.**—A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be it is proposed to supersede any member of the service the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List.**—(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee alongwith other documents received from the Committee and unless it considers any change necessary, approved the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee he shall inform the Committee of the change proposed and after taking into account the comments, if any of the Committee may approve the list finally with such modification if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so require a person whose name is not included in the select list or whose name is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Department Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

#### SCHEDULE—I(A)

(See Rule 4 and 5)

#### Employees of the Directorate of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal

Sr. No.	Name of the posts included in the service	No. of Posts sanctioned	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Superintendent	14	Class-III	1640-60-2600-75-2900
2.	Superintendent (for Jabalpur & Raipur Regional Office).	2	-do-	1640-60-2600-75-2900
3.	Senior Auditor	6	-do-	1400-40-1440-50-2340
4.	Stenographer	14	-do-	1400-40-1440-50-2340
5.	Jr. Account Officer (Jabalpur/ Raipur Regional Office).	2	-do-	1600-50-2300-60-2720
6.	Assistant Grade-I	17	Class-III (Ministrial)	1400-40-1440-50-2340
7.	Assit. Grade-I (Bhopal Regional office).	6	-do-	1400-40-1440-50-2340

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Asstt. Grade-I (Jabalpur Regional Office).	4	Class-III (Ministrial)	1400—40—1440—50—2340
	Asstt. Grade-I (Raipur Regional Office).	4	-do-	1400—40—1440—50—2340
9.	Cashier	1	-do-	
10.	Junior Auditor	6	-do-	1200—40—1440—50—2040
11.	Accountant	3	Class-III (Trained)	1300—40—1440—50—2040
	Accountant (Jabalpur Regional Office).	1	-do-	1200—40—1440—50—2040 (Untrained)
	Accountant (Raipur Regional Office).	1	-do-	1200—40—1440—50—2040 (Trained)
12.	Assistant Grade-II	16	Class-III (Ministrial)	1200—40—1440—50—2040
	Assistant Grade-II (Bhopal Regional Office).	6	-do-	-do-
	Assistant Grade-II (Jabalpur Regional Office).	2	-do-	-do-
	Assistant Grade-II (Raipur Regional Office).	2	-do-	-do-
13.	Store Keeper	1	-do-	1150—30—1210—40—1450—50—1800
14.	Record Keeper	1	-do-	-do-
15.	Stenotypist	13	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530+ 125 Spl. Pay.
	Stenotypist (Jabalpur Regional Office).	1	-do-	-do-
	Stenotypist (Raipur Regional Office).	1	-do-	-do-
16.	Assistant Grade-III	31	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530
	Asstt. Grade-III (Jabalpur Regional Office).	3	-do-	-do-
	Asstt. Grade-III Raipur Regional Office).	3	-do-	-do-

## SCHEDULE—1(B)

(See Rule 4 and 5)

## Employees of Madhya Pradesh Board of Technical Education, Bhopal

Sr. No.	Name of the posts included in the service	No. of Post sanctioned	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Superintendent	5	Class-III (Ministrial)	1600—50—2300—60—2720
2.	Asstt. Superintendent	5	-do-	1400—40—1440—50—2340
3.	Stenographer	4	-do-	1400—40—1440—50—2340 1640—60—2600—75—2900 2000—60—2300—75—3200—100— 3500.
4.	Assistant Grade-I	6	-do-	1400—40—1440—50—2340
5.	Accountant	1	-do-	1320—40—1440—50—2040 (Trained) 1200—40—1440—50—2040 (Untrained)
6.	Assistant Grade-II	14	-do-	1200—40—1440—50—2040
7.	Stenotypist	3	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530+ 125 Spl. Pay.
8.	Assistant Grade-III	12	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530
9.	Record Keeper	1	-do-	950—25—100—30—1210—40—1530

## SCHEDULE—1(C)

(See Rule 4 and 5)

## Government Technical Institutions, Madhya Pradesh

No	Name of the posts included in the service	No. of Post sanctioned	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jr. Accounts Officer (Polytechnic).	24	Class-III (Ministrial)	1600—50—2300—60—2720

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Stenographer (Engineering College/Polytechnic).	44	Class-III (Ministrial)	1400—40—1440—50—2340 1640—60—2600—75—2900 2000—60—2300—75—3200—100— 3500.
3.	Head Clerk (Government Engg. College/polytechnic).	56	-do-	1400—40—1440—50—2340
4.	Cashier (Government Engg. College, Sagar).	1	-do-	1400—40—1440—50—2340
5.	Head Clerk-cum-Accountant (Govt. Higher Secondary Technical School/Kala Niketan, Jabalpur).	5	-do-	1320—40—1440—50—2040 (Trained)
6.	Accountant (Engg. College/Polytechnic).	66	-do-	1300—40—1440—50—2040 (Trained)  1200—40—1440—50—2040 (Untrained)
7.	Assistant Grade-II (Engg. College/Polytechnic/ Kala Niketan).	137	-do-	1200—40—1440—50—2040
8.	Store Keeper (Engg. College/ Polytechnic/Kala Niketan).	93	-do-	1150—50—1210—40—1440—50—1800
9.	Accountant (Kala Niketan)	1	-do-	-do-
10.	Stenotypist (Engg. College/ Polytechnic).	17	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530+ 125 Spl. Pay.
11.	Assistant Grade-III Whole Technical Institutions (Except Govt. Higher Secondary Technical School/Pre-Vocational Training Centre).	127 +42 <hr/> 169	Class-III	950—25—1000—30—1210—40—1530
12.	Assistant Grade-III (Govt. Pre-Vocational Training Centre).	11	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530
13.	Assistant Grade-III (Govt. Higher Secondary School).	15	-do-	950—25—1000—30—1210—40—1530

**SCHEDULE No. 2(A)**  
**(See Rule-6)**

**Directorate of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal**

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Service	Total No. of Duty Posts	Percentage of the No. of Duty Posts to be filled in			Remarks
				By Direct Recruit- ment	By Promotion of total/ temporary No. in the service  (See rule-6)	By Transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**Manpower Planning Department (Technical Education)**  
**Directorate of Technical Education, M. P., Bhopal**

1.	Superintendent	14	-	100%	-	-	
2.	Superintendent (Jabalpur/Raipur Regional Office).	2	-	100%	-	-	
	Senior Auditor	6	-	100%	-	-	
	Stenographer	14	50%	50%	-	-	Stenotypist appointed in the establishment who has completed the five years of continuous service on 1st January of the year to be taken into consideration and who fulfill the qualification prescribed for the post of stenographer shall be eligible for promotion.
	Junior Account Officer	2	-	100%	-	-	
	Assistant Grade-I	17	-	100%	-	-	
	Assistant Grade-I (Jabalpur/Raipur Regional Office).	14	-	100%	-	-	
	Cashier	1	-	100%	-	-	
	Junior Auditor	5	-	100%	-	-	
	Accountant	3	-	100%	-	-	
	Accountant (Jabalpur/Raipur Regional Office).	2	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Grade-II	16	-	-	100%	-	-	-
Assistant Grade-II (Bhopal/Raipur/Jabalpur Regional Office).	10	-	-	100%	-	-	-
Store Keeper	1	-	-	100%	-	-	-
Record Keeper	1	-	-	100%	-	-	-
Stenotypist	13	100%	-	-	-	-	-
Stenotypist (Jabalpur/Raipur Regional Office).	2	100%	-	-	-	-	-
Assistant Grade-III	31	75%	25% by qualified class-IV employees.	-	-	-	-
Assistant Grade-III (Jabalpur/Raipur Regional Office).	6	75%	-do-	-	-	-	-

SCHEDULE No. 2(B)  
(See Rule-6)

Madhya Pradesh Board of Technical Education, Bhopal

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Service	Total No. of Duty Posts	Percentage of the No. of Duty Posts to be filled in		By Transfer of persons from other service	Remarks
				By Direct Recruit- ment	By Promotion of total/ temporary No. in the service (See rule-6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Manpower Planning Department (Technical Education)  
Madhya Pradesh Technical Education Board, Bhopal

1. Superintendent	5	-	100%
2. Assistant Superintendent	5	-	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Stenographer		4	50%	50%		The Stenotypist appointed in the establishment who has completed the five years of continuous service on 1st January of the year to be taken into consideration and who fulfill the qualification prescribed for the post of stenographer shall be eligible for promotion.
4.	Assistant Grade-I		6	-	100%	-	
5.	Accountant		1	-	100%	-	
6.	Assistant Grade-II		14	-	100%	-	
7.	Stenotypist		5	100%	-	-	
8.	Assit. Grade-III (Record Keeper).		12	75%	25% by qualified class-IV employees.	-	

## SCHEDULE No. 2(C)

(See Rule-4 and 5)

Sr. No.	Name of the Department & Name of the Service	Total No. of Duty Posts	Percentage of the No. of Duty Posts to be filled in			By Transfers of persons from other service	Remarks
			By Direct Recruit- ment	By Promotion of total/ temporary No. in the service (See rule-6)	(See rule-6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

## Manpower Planning Department (Technical Education)

1	Senior Account Officer (Polytechnic).	24	-	100%	-		
2	Stenographer	44	50%	50%	-	The Stenotypist appointed in the establishment who has completed the five years of continuous service on 1st January of the year to be taken into consideration and who fulfill the qualification prescribed for the post of stenographer shall be eligible for promotion.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Head Clerk (Engg. College/ Polytechnic).	56	-	100%	-	-
4.	Cashier (Govt. Engg. College Sagar).	1	-	100%	-	-
5.	Head Clerk-cum-Accountant (Govt. Higher Secondary Technical School/Shaskiya Kala Niketan, Jabalpur).	5	-	100%	-	-
6.	Accountant (Engg. College/ Polytechnic).	66	-	100%	-	-
7.	Assistant Grade-II (Engg. College/ Polytechnic/Kala Niketan, Jabalpur).	137	-	100%	-	-
8.	Store Keeper (Engg. College/ Polytechnic/Kala Niketan, Jabalpur).	93	-	100%	-	-
9.	Accountant Kala Niketan, Jabalpur.	1	-	100%	-	-
10.	Stenotypist (Engg. College/ Polytechnic/Kala Niketan, Jabalpur).	17	100%	-	-	-
11.	Assistant Grade-III (All Technical Institution).	169	75%	25% (from regular eligible class-IV employee)	-	-
12.	Assistant Grade-III (Govt./Pre-Vocational Technical Centre).	11	75%	25% (from regular class-IV employee).	-	-

Note.—Regarding the Posts of Stenographer.—With regard to giving opportunities of promotion to the Ministerial stenographers, the stenographers working in all the establishments under each Head of the Department shall be for the purpose of promotion, considered one Cadre and their promotions shall be centralized on the level of the Head of the Department, under Memorandum No. 61/102/2/PCC/88, dated 12-2-1988 / 15-3-1988 and B-124/391/1/PCC/90 dated 24-3-1990 of Government of Madhya Pradesh, Reformation and Training Department (Pay Commission cell). For the said scheme the posts of the opening pay scale of the stenographer under various

Heads of the Departments shall be devided at the rates of 9 : 3 : 1 Namely, if 13 Posts have been sanctioned, out of these the posts shall be devided as follows-9 posts in opening pay scale (Class-III) 1400-2340/-, 3 posts in (Class-II) pay scale 1640-2900/- and 1 post in (Class-I) pay scale 2000-3500/-.

The Promotion, the stenographers working under the Department shall be deemed of the cadre of the state level & accordingly the promotion shall be made, for promotion of the stenographers, it shall be essential to complete the qualifying service of atleast 5 years at each level. The stenographers going to be promoted may be appointed in any of the offices / Institutions. In order to do so the Head of the Department/Administrative Department shall be entitled to make the allotment by transferring the upper divisional Post from one office to the another.

**SCHEDULE No. 3(A)**  
(See Rule-8)

**Directorate of Technical Education, Madhya Pradesh**

S.No (1)	Name of the Service (2)	Minnium age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification (5)	Appointing officer (6)
1.	Stenographer	18	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Must have passed old Higher Secondary or 10th standard under 10+2 standard under 10+2 system form the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Govt.</li> <li>Must have passed Hindi Stenography Examination from Madhya Pradesh Typing and Stenography Examination Council or from any Institution recognised by the state Govt.</li> <li>Must have the speed of 100 words P.M. in stenography and 40 words P. M. in typing.</li> <li>Preference shall be given to one who has passed English Stenography/typing Examination.</li> </ol>	Director Technical Education
2.	Stenotypist	18	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Must have passed old Higher secondary Examination or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Government.</li> <li>Must have passed Hindi typing examination from the Council of Stenography and Typing Madhya Pradesh or from any recognised Institution.</li> <li>Preference shall be given to one who has passed English Typing Exam.</li> </ol>	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Assistant Grade-III	18	30	<p>4. Must have the speed of atleast 60 words per minute in Hindi Stenography.</p> <p>1. Must have passed old Higher Secondary Exam. or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, M. P. Bhopal or from the Institution recognised by the Government.</p> <p>2. Must have passed Hindi Typing Examination from the Council of Stenography and Typing M. P. from the Institution recognised by the Government.</p> <p>3. Preference shall be given to one who has passed English Typing Exam.</p>	Director Technical Education

Note.—Appointment to the Posts of Direct recruitment specified in Schedule 3-A shall be Made by competitive examination and interview.

SCHEDULE No. 3(B)

(See Rule-8)

Madhya Pradesh Technical Education Board

S.No	Name of the Service	Minniuum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Appointing officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer	18	30	<p>1. Must have passed old Higher Secondary Examination or 10th standard under 10+2 standard under 10+2 system form the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Govt.</p> <p>2. Must have passed Hindi Stenography Examination from Madhya Pradesh Typing and Stenography Examination Council or form any Institution recognised by the state Government.</p> <p>3. Must have the speed of 100 words P.M. in stenography and 40 words P. M. in typing.</p> <p>4. Preference shall be give to one who has passed English Stenography/ typing Examination.</p>	Director Technical

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Stenotypist	18	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Must have passed old Higher secondary Examination or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Government.</li> <li>Must have passed Hindi typing examination from the Council of Stenography and Typing Madhya Pradesh or from any Institution recognised by the Government.</li> <li>Must have the speed of atleast 60 words P.M. in Hindi Stenography.</li> <li>Preference shall be given to one who has passed English Typing Examination.</li> </ol>	Secretary, M. P. Tech. Education Board, Bhopal.
3.	Assistant Grade-III	18	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Must have passed old Higher Secondary Exam. or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, M.P. Bhopal or from Institution recognised by the Government.</li> <li>Must have passed Hindi Typing examination from the Council of Stenography and Typing exam. M.P. or from the Institution recognised by the Government.</li> <li>Preference shall be given to one who passed English Typing Exam.</li> </ol>	

Note.—The Appointment to the Posts of direct recruitment specified in Schedule 3-B shall be made by competitive examination and interview.

SCHEDULE No. 3(C)  
(See Rule-8)

The Government Technical Educational Institutions, Subordinate to the Directorate of Technical Education,  
Madhya Pradesh Bhopal

S No	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Appointing Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer Engg. College/ Polytechnic.	18	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Must have passed old Higher Secondary Exam. or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Govt.</li> <li>Must have passed Hindi Stenography Examination from Madhya Pradesh</li> </ol>	DTE.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Typing and Stenography Examination Council or from any Institution recognised by the state Government.	
2.	Stenotypist, Engg. College/ Poly./Kalaniketan, Jabalpur.	18	30	3. Must have the speed of 100 words per minute in Stenography and 40 words per minute in typing. 4. Preference shall be given to one who has passed English Stenography/typing Examination.	Head of the Institution.
3.	Assistant Grade-III Engg. College/ Polytechnic/Govt. Higher Secondary Technical School/ Kalaniketan, Jabalpur.	18	30	1. Must have passed old Higher Secondary Examination or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or from any Institution recognised by the Government. 2. Must have passed Hindi typing examination from the Council of Stenography and Typing Madhya Pradesh or from any Institution recognised by the Government. 3. Must have the speed of atleast 60 words p.m. in Hindi Stenography. 4. Preference shall be given to one has passed English Typing Examination.	
4.	Assistant Grade-III Govt. Pre Vocational Training Centre	18	30	1. Must have passed old Higher Secondary Examination or 10th standard under 10+2 system from the Board of Secondary Education, M. P., Bhopal or from any Institution recognised by the Government. 2. Must have passed Hindi Typing examination conducted by the Council of Stenography and Typing M. P. or from any Institution recognised by the Government. 3. Preference shall be given to one who has passed English Typing Examination.	DTE

Note.—Appointment to the Posts of direct recruitment specified in Schedule-3(c) shall be made by competitive examination and by interview.

**SCHEDULE No. 4(A)**  
**(See Rule-13 and 14)**

Name of the post from which promotion will be made	Name of the post to which promotion will be made	Method of selection i.e. selection from selection method	Mini. period of service for promotion	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**Manpower Planning Department (Technical Education) :**

1. Senior Auditor/ Assistant Grade-I/ Cashier/ Jr. Accounts Officer.	Superintendent.	Seniority subject to fitness.	5 Years	Nominated by the Director 1. One Additional Director/ Joint Director—Chairman 2. Two Dy. Director—Member 3. One Representative Officer of SC/ST—Member.
2. Sr. Auditor/ Assistant Grade-II/ Cashier.	Junior Accounts Officer.	—do—	3 Years 5 Years	—do—
3. Stenotypist	Stenographer	—do—	5 Years	—do—
4. Asstt. Grade-I Cashier.	Sr. Auditor	—do—	5 Years	—do—
5. Jr. Auditor/ Accountant/ Asstt. Grade-II/ Record Keeper/ Store Keeper (Vandar Lipik).	Asstt. Grade-I/Cashier.	—do—	5 Years	—do—
6. Assit. Grade-II/ Record Keeper/ Vandar Lipik (Storckeeper).	Jr. Auditor/ Accountant	—do—	5 Years	—do—
7. Assit. Grade-III	Assit. Grade-II/ Store Keeper/ (Vandar Lipik) Record Keepr.	—do—	5 Years	—do—

- Note—** 1. It is essential to pass Accounts Training Examination to the posts of Jr. Accounts Officer/Senior Auditor/Cashier.
2. It is essential for the Govt. Servant to pass Accounts Training Examination within a time period of Two years for promotion to the posts of Jr. Auditor and Storekeeper/Accountant.

SCHEDULE No. 4 (B)  
(See Rule-13 and 14)

Name of the Department (1)	Name of the post from which promotion will be made (2)	Name of the post to which promotion will be made (3)	Method of selection method (4)	Min. period of service for promotion (5)	Name of the members of Departmental Promotion Committee (6)
-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	--

Manpower Planning Department (Technical Education) :

1. Assistant Superintendent.	Superintendent.	Seniority subject to fitness.	5 Years	Nominated by the Director 1. Secretary, Technical Education Board—Chairman. 2. Joint Director Technical Education—Member. 3. Dy. Secretary Technical Education—Member. 4. One representative Officer of SC/ST—Member.
2. Stenotypist	Stenographer	—do—	5 Years	Nominated by the Director 1. One Additional Director/Joint Director—Member. 2. Two Dy. Director—Member 3. One representative Officer of SC/ST—Member.
3. Assistant Grade-I	Asstt. Suptd.	—do—	5 Years	Nominated by the Director 1. Secretary, Technical Education Board—Chairman. 2. Jt. Director, Technical Education—Member. 3. Dy. Secretary, Technical Education Board—Member. 4. One representative Officer of SC/ST—Member.
4. Accountant/ Assistant Grade-II.	Assistant Grade-I	—do—	5 Years	—do—
5. Assistant Grade-II.	Accountant	—do—	5 Years	—do—
6. Assistant Grade-II/ Record Keeper	Assistant Grade-II	—do—	5 Years	Nominated by Secretary, Technical Education Board : 1. One Dy. Secretary—Chairman 2. One Dy. Secretary—Member 3. Two Asstt. Secretary—Member 4. One representative Officer of SC/ST—Member.

Note.—It is essential to pass Account Examination for promotion to the post of Accountant/Store Keeper.

SCHEDULE No. 4(C)  
(See Rule-13 and 14)

Name of the Department from which promotion will be made (1)	Name of the post to which promotion will be made (2)	Name of the post to which promotion will be made (3)	Method of selection i.e. selection method (4)	Min. period of service for promotion (5)	Name of the members of Departmental Promotion Committee (6)
<b>Manpower Planning Department (Technical Education) :</b>					
1. Head Clerk Engineering/ Polytechnic/ Cashier, Engg.	Junior Account Officer	Seniority subject to fitness.	—do—	5 Years	Nominated by the Director 1. Additional Director/Principal, Engg. College—Chairman. 2. Principal, Polytechnic—Member 3. Joint Director/Deputy Director— Member. 4. One representative Officer of SC/ST—Member.
2. Stenotypist	Stenographer	—do—	—do—	5 Years	Nominated by the Director 1. One Additional Director/Joint Director—Chairman. 2. Two Dy. Director—Member 3. One representative Officer of SC/ST—Member.
3. Accountant Engg. College, Polytechnic, Head Govt. Higher Secondary Technical School.	Head Clerk/ Cashier, Engg. College	—do—	—do—	5 Years	Nominated by the Director 1. Additional Director/Principal, Engg. College—Chairman. 2. Principal Polytechnic—Member 3. Joint Director/Deputy Director— Member. 4. One representative Officer of SC/ST—Member.
4. Assistant Grade-II/ Store Clerk. Engg. Col. &c/ Polytechnic/Pre- Vocational Training Centre.	Accountant Engg. College/ Polytechnic and Head Clerk, Govt. Higher Secondary Technical School.	—do—	—do—	5 Years	—do—
5. Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Store Keeper.	—do—	—do—	5 Years	—do—

**Note.—It is essential to pass Accounts Training Examination to the posts of Junior Accounts Officer/Cashier/ Accountant/Store Keeper.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**R. K. DUBEY, Dy. Secy.**